न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 02/2019 दायरा दिनांक 11.07.2019

पीठासीन अधिकारी :– राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. भूरीबाई बाई पुत्री पन्नालाल जाति सहरिया निवासी सोडाना तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान।
2. बुद्धिबाई पुत्री पन्नालाल जाति सहरिया निवासी सोडाना तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान।

–अपीलाण्टगण

बनाम

1. रूकमणी पत्नि मुन्ना जाति सहरिया निवासी सोडाना तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान।
2. दौलतराम पुत्रान नाबा0 जर्ये वली खुद माता रूकमणी जाति सहरिया निवासी सोडाना तहसील किशनगंज जिला बारां।
3. चन्द्रशेखर पुत्रान नाबा0 जर्ये वली खुद माता रूकमणी जाति सहरिया निवासी सोडाना तहसील किशनगंज जिला बारां।
4. दिपील कुमार पुत्रान नाबा0 जर्ये वली खुद माता रूकमणी जाति सहरिया निवासी सोडाना तहसील किशनगंज जिला बारां।
5. ओमप्रकाश पुत्र हरिराम जाति सहरिया निवासी सोडाना तहसील किशनगंज जिला बारां।
6. मुकेश पुत्र हरिराम जाति सहरिया निवासी सोडाना तहसील किशनगंज जिला बारां।
7. रामलखन पुत्र हरिराम जाति सहरिया निवासी सोडाना तहसील किशनगंज जिला बारां।
8. संदीप पुत्र हरिराम जाति सहरिया निवासी सोडाना तहसील किशनगंज जिला बारां।
9. दोजी पत्नि हरिराम जाति सहरिया निवासी सोडाना तहसील किशनगंज जिला बारां।
10 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला – बारां।

– रेस्पोडेण्टगण

उपस्थित :–

श्री राधाबल्लभ नागर, अभिभाषक अपीलान्ट।

निर्णय दिनांक 23.02.2021

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण 1096 दिनांक 29.05.2000 ग्राम सोडाना तहसीलदार किशनगंज

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट, उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.05.2000 ग्राम सोडाना को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

तहसीलदार किशनगंज ने मृतक पन्ना के वारिस[illegible] जांच किये नामान्तरकरण खोला है जो न्याय कानूनी तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से नामान्तरकरण नम्बर [illegible] निरस्तनीय है। मृतक पन्ना के दो पुत्र मुन्ना व हरिराम व दो पुत्रियां अपीलान्ट है तथा [illegible] हो चुका है [illegible]र मृतक पन्ना की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:32 IST
Reason: SelfAttested

सम्पत्ति आराजी ग्राम सोडाना ख.नं. 388 रकबा 7.01 बीघा में अपीलान्ट का हिस्सा 1/2 है। अपीलान्ट नामान्तरकरण नंम्बर 1096 ग्राम सोडाना को अवैध व शून्य होने से उक्त आराजी में अपना हिस्सा 1/2 दर्ज करवाने की अधिकारणी है तथा नामान्तरकरण को निरस्त करवाने की अधिकारणी है। नामान्तरकरण नम्बर 1096 की जानकारी अपीलान्ट को 29.06.2019 को हल्का पटवारी से नामान्तरकरण की नकल लेने पर जानकारी हुई नामान्तरकरण खुलने की दिनांक 29.05.2000 से नामान्तरकरण जानकारी दिनांक 29.06.2019 की अवधि कण्डोन करवाने की अधिकारणी अपीलान्ट है तथा अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.06.2019 को हुई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कहा कि मृतक पन्ना के दो पुत्र मुन्ना व हरिराम व दो पुत्रियां अपीलान्ट है तथा पत्नि नेनगी है नेनगी का भी स्वर्गवास हो चुका है इस प्रकार मृतक पन्ना की सम्पत्ति आराजी ग्राम सोडाना ख.नं. 388 रकबा 7.01 बीघा में अपीलान्ट का हिस्सा 1/2 है। अपीलान्ट नामान्तरकरण नम्बर 1096 ग्राम सोडाना को अवैध व शून्य होने से उक्त आराजी में अपना हिस्सा 1/2 दर्ज करवाने की अधिकारणी है तथा नामान्तरकरण को निरस्त करवाने की अधिकारणी है। बाबजूद सूचना रेस्पोडेण्टगण की ओर से कोई जबाब प्राप्त नहीं।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील ने कहा कि मृतक पन्ना के दो पुत्र मुन्ना व हरिराम व दो पुत्रियां अपीलान्ट हैं। मृतक पन्ना की सम्पत्ति आराजी ग्राम सोडाना ख.नं. 388 रकबा 7.01 बीघा में अपीलान्ट का हिस्सा 1/2 है। हमने ग्राम सोडाना के मूल इंतकाल नं. 1096 दिनांक 29.05.2000 का अवलोकन किया जिसमें मृतक पन्नालाल के स्थान पर नामान्तकरण मुन्ना, हरिराम के नाम तस्दीक किया गया है। तथा अपीलान्ट्स का नाम नामान्तरकरण में अंकित नहीं किया गया है। जो विधिक रूप से सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का नाम छोडा जाना पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम सोडाना का. इंतकाल नं. 1096 दिनांक 29.05.2000 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत तरीके से प्रकरण की भलीभांति जांच की जाकर नियमानुसार वास्तविक वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जावें। मूल इंतकाल नं. 1096 दिनांक 29.05.2000 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार किशनगंज को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से.कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहाबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:32 IST
Reason: SelfAttested